

हरिभूमि सागर-चम्बल भूमि फ्रंट पेज

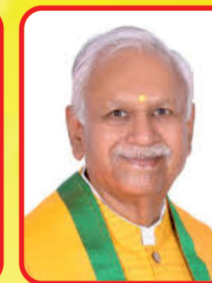
भोपाल, बुधवार 1 जुलाई 2026

सागर | खुरई | बांदरी | जरुआखेड़ा | बीना | बंडा | राहतगढ़

06 सामूहिक
विवाह
सम्मेलन
समाज की...



07 एसपी
कार्यालय के
नए भवन के
लिए पुरानी...



“ जीवेत् शरत : शतम् ”

जनसेवा के प्रति समर्पण और दीर्घ राजनीतिक
अनुभव के प्रणेता पूर्व मंत्री एवं विधायक
आदरणीय

गोपाल भार्गव जी
को जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनायें



विजेन्द्र मिश्र
(सजा भैया)

प्रथम महापौर कटनी



जगत प्रकाश मिश्र
प्रबंध
निदेशक द विजय
ग्रुप (कटनी)



इंजीनियर
देव प्रकाश मिश्र
प्रबंध
निदेशक विजय
कंसल्टेशन (कटनी)



इंजीनियर
वेद प्रकाश मिश्र
प्रबंध
निदेशक द विजय ग्रुप
(कटनी)



एडवोकेट
शुभ प्रकाश मिश्र
अध्यक्ष
बस ऑपरेटर्स
एसोसिएशन
(कटनी)



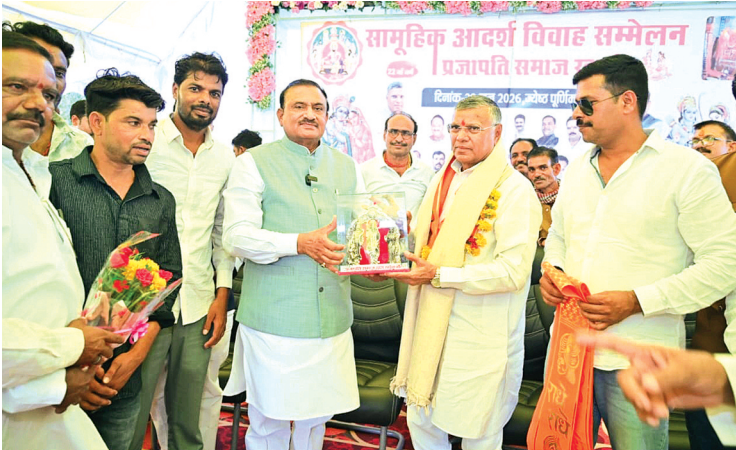
एडवोकेट
कुशल प्रकाश मिश्र
अध्यक्ष
कटनी जिला
विकास छात्र संगठन
(कटनी)

निवेदक :- शुभ प्रकाश मिश्र . कुशल प्रकाश मिश्र एवं मित्र मंडली कटनी

सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज की आर्थिक और सामाजिक शक्ति का सबसे बड़ा माध्यम: भूपेन्द्र

हरिभूमि न्यूज़
 खुरई

समाज की बेटियों के विवाह को सम्मानपूर्वक और बिना आर्थिक बोझ के संपन्न कराने का सबसे प्रभावी माध्यम सामूहिक विवाह सम्मेलन है। यह उद्गार पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह उद्गार श्री देव हनुमान जी मंदिर प्रांगण में आयोजित प्रजापति समाज के सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन में व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने खुरई प्रजापति समाज की मांग पर श्री देव हनुमान जी मंदिर के पास स्थित भूखंड वृक्षारोपण हेतु समाज को देने, मंदिर का शेष निर्माण कार्य कराने तथा गढ़ौला नाका चैराहा पर स्वागत द्वार बनाए जाने की सहमति दी। सम्मेलन में आठ जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आठ बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने के पुण्य कार्य के लिए मैं प्रजापति समाज के सभी गणमान्य लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आप समाज के लिए एक बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं हम सब जानते हैं। हर समाज में गरीबी



और संपन्नता दोनों होती हैं। हर समाज को यह कोशिश करना चाहिए कि इसी तरह से समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से बेटियों की शादियां हों। यह आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने देखा है कई बार बेटियों की शादी के लिए जमीन बेचकर, मकान गिरवी रखकर भी शादियां करना पड़ती हैं। पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि

इसीलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की। आज एक बेटी की शादी पर सरकार लगभग 55000 की राशि खर्च करती है। प्रजापति समाज द्वारा आयोजित आठ बेटियों के सामूहिक आदर्श विवाह समारोह की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल विवाह का आयोजन नहीं, बल्कि

समाज सेवा, सामाजिक समरसता और आर्थिक सहयोग का श्रेष्ठ उदाहरण है। भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि समाज में संपन्न और आर्थिक रूप से कमजोर दोनों प्रकार के परिवार होते हैं। ऐसे में समाज का दायित्व है कि वह अपने कमजोर वर्गों का हाथ थामे और सामूहिक विवाह जैसे आयोजनों के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए। प्रजापति समाज द्वारा प्रत्येक बेटी को 25 हजार रुपये की सहायता प्रदान करना अत्यंत सराहनीय कार्य है। इसके अतिरिक्त यदि अलग-अलग विवाहों में भोजन, टेंट, बारात के ठहरने तथा अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च भी बच जाता है, तो वही राशि माता-पिता अपनी बेटी को दे सकते हैं। इससे बेटी आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनती है और उसके नए जीवन की शुरुआत अधिक मजबूत आधार पर होती है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्मग्रंथों में कन्यादान को सर्वोच्च पुण्य कार्यों में स्थान दिया गया है। प्रजापति समाज केवल पुण्य अर्जित करने का कार्य ही नहीं कर रहा है, बल्कि समाज कल्याण का भी अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर अवैध बीज भंडारण पर एफआईआर दर्ज

हरिभूमि न्यूज़
 सागर



अन्नपूर्णा ब्रांड दाल मिल की नवीन 116 खाली बोरी गोदाम स्थल पर पाई गईं। लगभग 100 जूट के बोरे 50 किग्रा के सोयाबीन का कच्चा माल पाया गया। जिस पर बीज गुण नियंत्रण आदेश के तहत कारवाई की गई।

अवैध बीज की मशीन से सील पैकिंग बोरी अन्नपूर्णा ब्रांड दाल मिल ललितपुर लिखी हुई बोरी गोदाम में पाई गईं। बोरी पर दर्ज मोबाइल नंबर पर फोन लगाने पर वह मोबाइल नंबर अमित जैन ललितपुर का होना पाया गया। उनके

द्वारा बताया गया कि अन्नपूर्णा दाल मिल प्रतिष्ठान का व्यापार विगत 5 वर्ष पूर्व ही बंद कर दिया गया है। संबंधित द्वारा प्रतिष्ठान के नाम एवं मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया गया है जिस पर कठोरतम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उक्त कार्रवाई के दौरान एम के प्रजापति परियोजना संचालक आत्मा, अनिल राय अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अंकित रावत सहायक संचालक कृषि, जे. एल. विश्वकर्मा, भूपेंद्र राजपूत तकनीकी सहायक एम सागर उपस्थित रहे।

700 वर्ष पुराने कल्पवृक्ष को बचाने की मुहिम शुरू, हिंदू संगठनों ने प्रशासन को सौंपा ज़ापन

सागर। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित लगभग 700 वर्ष पुराने ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व के कल्पवृक्ष की जर्जर होती स्थिति को लेकर शहर के विभिन्न हिंदू संगठनों ने इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक जन-अभियान की शुरुआत की है। सोमवार को हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कल्पवृक्ष के संरक्षण हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पं. अजय दुबे एवं



समी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अनिल कुमार तिवारी, शिवसेना उप-राज्य प्रमुख पप्पू तिवारी, धर्मजागरण संगठन प्रमुख डॉ. उमेश सराफ, पुजारी पुरोहित विद्वत संघ प्रदेश मंत्री पं. रामचरण शास्त्री के नेतृत्व में हिंदू संगठनों तथा पुजारी-पुरोहित संघ के प्रतिनिधियों ने नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री और एसडीएम अमन मिश्रा के साथ कल्पवृक्ष का स्थल निरीक्षण किया तथा उसके संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा की। निरीक्षण के उपरांत वैदिक परंपरा के अनुसार ग्यारह विद्वान पुरोहितों ने विधि-विधान से कल्पवृक्ष का पूजन-अर्चन कर उसके संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पं. अजय दुबे ने कहा कि सनातन संस्कृति के प्रतीकों को लगातार उपेक्षा और उपहास का सामना करना पड़ रहा है। कल्पवृक्ष सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक होने के साथ सागरवासियों की आस्था और प्राणवायु का केंद्र है। इसके संरक्षण के लिए सभी हिंदू संगठन एकजुट होकर कार्य करेंगे और किसी भी कीमत पर इस धरोहर को नष्ट नहीं होने देंगे।

दुल्हन के बाद दूल्हे ने भी तोड़ा दम: सड़क हादसे में अब तक तीन की मौत

हरिभूमि न्यूज़
 खुरई

बायपास रोड पर हुए एक सड़क हादसे में दुल्हन के बाद अब दूल्हे ने भी दम तोड़ दिया है। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। यह हादसा पिछले सोमवार, 22 जून को हुआ था, जब बारात से लौट रही एक कार की सामने से आ रही दूसरी कार से टक्कर हो गई थी। हादसे में बारात की कार चला रहे ड्राइवर सुरेंद्र यादव की घटना के दिन ही इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शनिवार को सागर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दुल्हन पूजा कुशवाहा ने दम तोड़ दिया था। आज सोमवार को दुल्हन की खारी (अंतिम संस्कार) के दिन ही दूल्हे प्रहलाद कुशवाहा का भी निधन हो गया।

जानकारी के अनुसार, 22 जून

को बीना के बेसरा गांव से खुरई के तोड़ा काछी गांव लौट रही बारात की कार टीहर चौराहा के पास दूसरी कार से टकरा गई थी। इस टक्कर में दोनों गाड़ियों में सवार कुल 8 लोग घायल हो गए थे। बारात की कार में फंसे दो बारातियों को बड़ी मुश्किल से गेट तोड़कर निकाला गया था।

दूल्हा-दुल्हन समेत 6 बाराती घायल
दूल्हा-दुल्हन सहित 6 बाराती और दूसरी कार का चालक भी घायल हुए थे। मृतक प्रहलाद कुशवाहा अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एकमात्र बड़ी बहन के पति की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दूल्हे के चचेरे चाचा की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। इस दुखद घटना से दूल्हे के गांव तोड़ा काछी और दुल्हन के गांव बेसरा में मातम पसरा हुआ है।

जननायक गोपाल भार्गव : सेवा, समर्पण और विकास की अविरल यात्रा

दशकों से जनता के दिलों पर राज करने वाले लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जिनकी सादगी, दूरदृष्टि और कर्मनिष्ठा ने गढ़ी विकास की नई पहचान



हरिभूमि न्यूज़
 गढ़ाकोटा

कुछ व्यक्तित्व समय के साथ केवल राजनीतिक नेता नहीं रहते, बल्कि जनविश्वास, विकास और जनसेवा के प्रतीक बन जाते हैं। गोपाल भार्गव जी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, जनकल्याणकारी दृष्टिकोण और जनता के प्रति अटूट समर्पण के बल पर न केवल राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया, बल्कि लाखों लोगों के हृदय में सम्मान और विश्वास का स्थायी स्थान भी अर्जित किया है। उनका जीवन संघर्ष, सेवा, सादगी और सफलता की ऐसी प्रेरक गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी।

जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी सबसे बड़ी शक्ति जनता के साथ उनका आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने सदैव राजनीति को जनसेवा का माध्यम माना और अपने क्षेत्र के विकास को जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया। यही कारण है कि वर्षों से क्षेत्र की जनता ने उन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा है। यह विश्वास किसी पद या प्रभाव का परिणाम नहीं, बल्कि उनके निरंतर परिश्रम, संवेदनशीलता और जनहित के प्रति समर्पण का प्रतिफल है।

गोपाल भार्गव जी की कार्यशैली की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनकी सादगी और सहजता है। सार्वजनिक जीवन में ऊँचे पदों पर आसीन रहने के बावजूद उन्होंने स्वयं को आमजन से कभी दूर नहीं होने दिया। उनके लिए जनता केवल मतदाता नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा रही है। यही आत्मीयता उन्हें लोगों के

बीच विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुँचता है तो उसे यह विश्वास रहता है कि उसकी बात गंभीरता से सुनी जाएगी और समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

विकास के प्रति उनकी सोच सदैव व्यापक और दूरदर्शी रही है। उन्होंने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ही नहीं देखा, बल्कि आने वाले समय की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल और ग्रामीण अधोसंरचना के क्षेत्र में हुए अनेक कार्य उनके दूरदर्शी नेतृत्व के साक्षी हैं। उन्होंने विकास को राजनीति का विषय नहीं, बल्कि जनजीवन को बेहतर बनाने का संकल्प माना और उसी भावना के साथ कार्य किया।

उनकी कर्मनिष्ठा और कार्यक्षमता ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्षों के अनुभव के बावजूद उनके कार्य करने का उत्साह और जनसेवा के प्रति समर्पण आज भी उतना ही जीवंत है जितना सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में था। यही सतत सक्रियता और प्रतिबद्धता उन्हें प्रदेश के सबसे सम्मानित और अनुभवी नेताओं की श्रेणी में स्थापित करती है।

गोपाल भार्गव जी केवल एक सफल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता और प्रेरणादायी नेतृत्वकर्ता भी हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था, प्रशासनिक विषयों की गहरी समझ और निर्णय क्षमता ने उन्हें सदैव विशिष्ट बनाया है। उन्होंने हर जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ किया तथा सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, संवाद और सकारात्मक राजनीति की परंपरा को सशक्त किया।

युवाओं के लिए उनका जीवन एक प्रेरणास्रोत है। संघर्ष से सफलता तक की उनकी यात्रा यह संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, नीयत स्वच्छ हो और जनसेवा का भाव हृदय में हो, तो कोई भी उपलब्धि असंभव नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि राजनीति का सर्वोच्च उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सम्मान पहुँचाना है।

समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण भी उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण पहचान है। वे सदैव समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की चिंता



करते रहे हैं। उनकी सोच रही है कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे। यही कारण है कि वे केवल एक लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि जनभावनाओं को समझने वाले संवेदनशील जननायक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं।

आज उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पूरा क्षेत्र उनके योगदान, नेतृत्व और जनसेवा की इस गौरवशाली यात्रा को सम्मानपूर्वक नमन कर रहा है। यह दिन केवल उनके जीवन का उत्सव नहीं, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों का भी उत्सव है जिनके बल पर उन्होंने जनविश्वास की ऐसी मिसाल स्थापित की है, जो वर्षों तक स्मरणीय रहेगी।

ईश्वर से प्रार्थना है कि वे गोपाल भार्गव जी को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, यशस्वी जीवन और निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करें, ताकि वे इसी प्रकार समाज, क्षेत्र और प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य योगदान देते रहें।

जनता का विश्वास, विकास का संकल्प और सेवा का समर्पण—यही है जननायक गोपाल भार्गव की सबसे बड़ी पहचान।

जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं मंगलकामनाएँ।
विजेन्द्र मिश्रा (राजा मैया)
प्रथम महापौर कटननी

पूर्व मंत्री

मा. पं. गोपाल भार्गव

को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

श्रीमति संगीता / मनोज तिवारी
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा

धनंजय गुमारस्ता
सीएमओ, नपा गढ़ाकोटा

उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगण नगर पालिका परिषद, गढ़ाकोटा

सौजन्य : नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा, जिला सागर, मप्र

खबर संक्षेप

मारपीट की घटनाओं के कई मामले दर्ज किए

अशोकनगर। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मारपीट की घटनाओं के कई मामले दर्ज किए गये हैं। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौशाला क्षेत्र निवासी किरण केवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी राजेश केवट ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत माता मंदिर रोड़ अशोकनगर निवासी राजकुमार अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी हल्केराम कुशवाह ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत बमनाई हवेली निवासी रतिबाई वंशकार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी कल्ला, रामवीर और राजेन्द्र यादव ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिले के शाहीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथनेर निवासी करण अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी बलवीर और रवीना अहिरवार ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसी घटना में दूसरे पक्ष की ओर से बलवीर अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि करण और रवीना का ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जारेली बुजुर्ग निवासी जगदीश विश्वकर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी भरत कोरी ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जिले के सेहराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी राजीव ब्राह्मण ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी काशीबाई और मनीषा लोधी ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

गल्ला व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी मामला दर्ज कराया

अशोकनगर। सिटी कोतवाली अशोकनगर के अंतर्गत सुभाष मोदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हिनोतिया पीपलखेड़ा निवासी राजकुमार यादव ने उसके घर के बाहर आकर उसे अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी की रिपोर्ट पर से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। व्यापारी सुभाष मोदी ने बताया कि राजकुमार यादव डेढ़ साल पहले 200 बोरी सोयाबीन मोदी वेयर हाउस में रख गया था, जिसके बाद उसने बैंक से लोन कराया और नवंबर 2025 में किसान उक्त सोयाबीन को 4400 रूपए में बेंच दिया। मार्च में फिर वह गेहूं रखने आया और बैंक से लोन करवाया 3 महीने बाद जून के पहले सप्ताह में वह गेहूं उठा ले गया। 35000 रूपए कम देकर गया था, वेयरहाउस मैनेजर को यह नहीं बताया और गेहूं ले गया। सोयाबीन के दाम बढ़ने के बाद राजकुमार यादव की निवत खराब हो गई और कहने लगा कि उसने सोयाबीन गिरवी रखा था, जिस पर से वह 3 माह से लगातार गाली गलौच कर रहा है। बीती रात 11 से 12 बजे के बीच उसके द्वारा गाली गलौच की गई।

राह मटकी मासूम के लिए देवदूत बनी डायल-112 ने मां से मिलाया



गुना। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र में बीनांगन चौकी के पास बीती रात एक 10 वर्षीया मासूम बालिका अपने घर का रास्ता भटक गई। राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को 28 जून की रात करीब 10:35 बजे इसकी सूचना मिली, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चाचौड़ा क्षेत्र की डायल-112 एफआरवी वाहन को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। मौके पर पहुंचे डायल-112 के स्टफ आक्षक नरेश मंडेरिया और पायलट राहुल मीणा ने संरक्षण में लिया। जानबूझने से जब मासूम से स्नेहपूर्वक बात की, तो उसने अपना घर बूढ़ी बरसत गांव में होना बताया, लेकिन वह रास्ता भूल चुकी थी। इसके बाद पुलिस जवान बच्चों को वाहन में बैठाकर उक्त गांव पहुंचे। गांव में बच्चों की मां मिल गई, भौतिक सत्यापन की कार्रवाई पूरी कर मासूम को सुरक्षित उसकी मां के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस लाइन मोहरी में स्थानांतरित होगी एसपी कार्यालय के नए भवन के लिए पुरानी अदालत परिसर को चुना गया

हरिभूमि न्यूज़ ॥ अशोकनगर

जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यालय अभी कलेक्टर कार्यालय के साथ एक ही भवन में लग रहा है। एसपी कार्यालय को अलग भवन बनाए जाने के लिए भूमि की तलाश की जा रही थी, जिसे लेकर पुरानी अदालत का भवन जो पुलिस लाइन से लगा है वह क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां एसपी कार्यालय लगाए जाने की तैयारी है। न्याय विभाग से स्वीकृति मिल गई है, पुलिस मुख्यालय भोपाल से उक्त भवन के लिए स्वीकृति मांगी गई है।

इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने दी, उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय कलेक्टर कार्यालय के भवन में ही लग रहा है। इस कार्यालय के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण यहां आने वाले लोगों भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पुलिस विभाग की कई शाखाएं एक ही कक्ष में लगाना पड़ रही हैं अभी तक इसके लिए अलग से



काउंटर नहीं थे, लेकिन अब काउंटर बनाकर पाठिशन किया गया है। जिससे से काम चलाया जा रहा है, यहां जिला मुख्यालय पर पुलिस मुख्यालय के लिए कलेक्टर कार्यालय का अलग खण्ड और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का अलग खण्ड होना चाहिए था। जिला मुख्यालय पर पहले दिन से ही उस समय भी पुलिस अधिकारियों द्वारा भी असहमति जताई गई थी तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर थे। तमाम की कई शाखाएं एक ही कक्ष में लगाना पड़ गया था, तब से आज तक पुलिस अधीक्षक

कार्यालय के लिए मांग लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर वर्तमान में जो जेल के सामने पुलिस लाइन है, पहले कभी यहां अदालत लगती थी, लेकिन न्यायालय भवन जर्जर होने से तथा यह भवन नीचे गिर जाने से यह स्थान ऐसा ही पड़ा है। जबकि न्यायालय गुना रोड पर नए भवन में लग रहा है, इस जर्जर हो चुके भवन को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए चयनित किया गया था, इस हेतु न्याय विभाग से स्वीकृति भी ली गई है। इस तरह की स्वीकृति मिल गई है, अब प्रयासों के बाद यह कार्यालय यहां लगाया गया था, तब से आज तक पुलिस अधीक्षक

वर्तमान में यहां पुलिस लाइन चल रही है, ऐसे में एसपी राजीव कुमार मिश्रा का कहना है कि पुलिस लाइन को यहां से हटाकर मोहरी की पुलिस लाइन पर भेजा जाएगा, वहां पर 9 हेक्टर भूमि पुलिस विभाग की है जो ऐसी ही पड़ी है। उक्त भूमि पर पुलिस लाइन स्थानांतरित की जाएगी। शहर में अभी दो पुलिस लाइन है एक मोहरी की और दूसरे जेल के सामने पड़रिया के नाम से पुलिस लाइन है। जब अशोकनगर जिला बना था तब पुलिस लाइन की शुरूआत मोहरी से की गई थी, बाद में जब रमन सिकरवार एसपी बनकर आए थे ।

सेफ विलक 2.0 अभियान: सायबर चौपाल आयोजन से ग्रामीणों को किया जागरूक

हरिभूमि न्यूज़ ॥ अशोकनगर

पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में संचालित राज्यव्यापी सायबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अशोकनगर राजीव कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में जिलेभर में व्यापक स्तर पर सायबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं थाना क्षेत्रों में सायबर चौपाल का आयोजन कर सायबर अपराधों से बचाव एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने थाना नईसराय द्वारा ग्राम भैंसा, डूंमसरा, थाना शादौरा द्वारा ग्राम पीलीघटा, थाना ईसागढ द्वारा ग्राम ओढ़ीला, थाना देहात द्वारा ग्राम



मढ़खेड़ा, थाना बहादुरपुर द्वारा कस्बा बहादुरपुर, थाना पिपरई द्वारा रविवार हाट बाजार पिपरई, थाना चन्देरी द्वारा ग्राम पंचायत प्राणपुर तथा थाना मुंगावली द्वारा कृषि उपज मण्डी मुंगावली क्षेत्र एवं थाना कोतवाली द्वारा महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, सायबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने संबंधी जानकारी दी। साथ ही

सायबर स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर राजीव कुमार मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सायबर धोखाधड़ी होने पर धरवारें नहीं, बल्कि तत्काल 1930 सायबर हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं तथा अपने बैंक एवं संबंधित संस्थान को तुरंत सूचित करें। सतर्क रहकर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने एवं दूसरों को भी सायबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की।

जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

हरिभूमि न्यूज़ ॥ अशोकनगर

प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष सतीश चन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में व जिला न्यायाधीश किशोर कुमार निनामा, सचिव मनीष अनुरागी की उपस्थिति में सोमवार को जिला जेल अशोकनगर का निरीक्षण, बंदियों से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

निरीक्षण के दौरान निरूद्ध बंदियों से उनके अधिकवक्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर बताया गया कि यदि किसी बंदी के पास



अधिकवक्ता नहीं है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिकवक्ता प्राप्त कर सकता है। साथ ही बंदियों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई व बताया गया कि प्रत्येक बंदी को अपने अधिकार

रिक्त पदों के लिए किए गए आवेदन आमंत्रित

अशोकनगर। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश

भोपाल माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति एम.पी.ऑनलाइन के चयन पोर्टल (वर्ष 2026 फेज 1) के माध्यम से विज्ञापित प्रकाशित की गई है। नियुक्ति की कार्यवाही एम.पी.ऑनलाइन द्वारा निर्मित चयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। एम.पी. ऑनलाइन के चयन पोर्टल पर आवेदन भर जाने के संबंध में तिथि का विवरण है। आवेदन पत्र प्रारंभ तिथि 01/07 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13/07/आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 15/07/2026 रिक्त पदों की सूचना संबंधी जानकारी में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद हेतु मूल निवास, आय,शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य मापदण्ड जिसके आधार पर चयन किया जाएगा।

और कानूनी सलाह, विधिक सहायता के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकार है। बंदियों को प्लीबार्गेनिंग योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही बंदियों से उनके स्वास्थ्य, खान-पान एवं प्रकरणों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई। बंदियों से अपील की गई कि जेल सुधार गृह है। यहां आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। मन में हताशा एवं निराशा के भाव नहीं रखना चाहिए। जिससे यहां से निकलने के बाद वे समाज में अच्छे नागरिक होने का दायित्व निभा सकें।

ग्राम सावलहेडा में रास्ते पर से अतिक्रमण हटाया



अशोकनगर। तहसील मुंगावली अंतर्गत ग्राम सावलहेडा स्थित पंचायत भवन नैन रोड से शासकीय प्राथमिक शाला भवन वाले रास्ता पर अतिक्रमण को राजस्व एवं पुलिस की तत्परता से हटवाया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच रेखा राय के द्वारा पत्र लेख कर सूचना दी गई कि ग्राम सावलहेडा में स्थित पंचायत भवन के सामने वाले रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा मिट्टी डाली गई है जिससे सड़क पर गांवों का मराव होने के कारण ग्रामवासी एवं

आदिवासी बहुत परेशान हो रहे है। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी ब्रजबिहारी श्रीवास्तव के निर्देशन में राजस्व और पुलिस की टीम मौक पर पहुंची। तहसीलदार सोनम शर्मा द्वारा मौके पर पहुंच कर समझाइश के साथ अतिक्रमणकर्ता थानसिंह पुत्र पन्नालाल राय, प्रदीप पुत्र किशनलाल दीक्षित, मुकेश पुत्र फूलसिंह राय से पंचायत भवन नैन रोड से शासकीय प्राथमिक शाला भवन वाले रास्ता से मिट्टी हटाने हेतु कहा गया।

मधु शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया

अशोकनगर। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार मधु शर्मा ने सोमवार को अशोकनगर में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कलेक्टर साकेत मालवीय से भेंट की।



स्थानांतरण के पहले मधु शर्मा जिला शोपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ थी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन और विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियाव्यवण के लिए सभी के सहयोग से कार्य करने की बात कही।

समय-सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई

शासन की योजनाओं में विभाग समन्वित रूप से प्रयास कर प्रगति लाएं: कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज़ ॥ अशोकनगर

शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभागों द्वारा समन्वित प्रयास कर प्रगति लाई जाए। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन मैदानी स्तर पर हो यह सुनिश्चित किया जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर साकेत मालवीय ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला अधिकारियों को दिए।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के तहत सभी विभाग ग्रेडिंट सुधार में विशेष ध्यान दें। सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी शिकायत नॉट अटेण्ड नहीं होना चाहिए। शिकायतों को अटेंड न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मुख्य सचिव की



बैठकों के एजेण्डा के बिन्दुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि माह जनवरी से माह जून तक आयोजित बैठकों के एजेण्डा के बिन्दुओं की संबंधित विभागीय अधिकारी अद्यतन जानकारी अपडेट रखें। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभागीय उपलेब्धियों को पोर्टल पर दर्ज किये जाने के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गौशालाओं में पानी की टंकी निर्माण,मनरेगा,जनभागीदारी से किये गये कार्यों तथा जन चौपाल के माध्यम से जागरूकता अभियान के संबंध में समीक्षा कर निर्देशित किया गया। उन्होंने सुशासन के अंतर्गत स्वास्थ, शिक्षा, नामांतरण, सीमांकन के संबंध में विस्तृत बिन्दुओं की समीक्षा की। उन्होंने खण्ड स्तरीय बैठकों के आयोजन किये जाने के निर्देश समस्त

खाद व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची एसडीएम मंजूषा खत्री

गुना। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करने और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से आरोन एसडीएम मंजूषा खत्री सोमवार को कृषि उपज मंडी पहुंचीं। एसडीएम ने मंडी में खाद के स्टॉक, उपलब्धता और किसानों को किफा रहे वितरण का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद वितरण पूरी पारदर्शिता और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए तथा किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण सुनिश्चित करने और मांग के अनुरूप समय पर उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। एसडीएम सुश्री मंजूषा खत्री ने मंडी परिसर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद वितरण से संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या सामने आती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि किसानों को बिना किसी अनुविधा के समय पर खाद उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान मंडी के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।

वर्तमान मग्न भूमि राजस्व संहिता एमपीएलआरसी 1959, ब्रिटिश काल की जमींदारी व्यवस्था आधारित

‘शहरीकरण, औद्योगीकरण और डिजिटल युग की मांगों असफल’

वर्ष 1947 बंदोबस्त अभिलेखों का संगठित दुरुपयोग एवं फर्जीवाड़ा

हरिभूमि न्यूज़ ॥ अशोकनगर

चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने मध्यप्रदेश शासन के राजस्व मंत्री करण सिंह से मांग की है कि मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता एमपीएलआरसी 1959, जो ब्रिटिश काल की जमींदारी व्यवस्था और कांग्रेस शासनकाल की पुरानी सोच पर आधारित है।

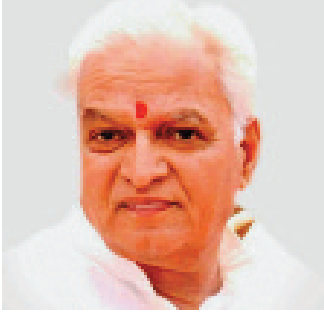
जो आज पूरी तरह से अप्रासंगिक, अपूर्ण और किसान-विरोधी सिद्ध हो चुकी है। यह संहिता 1959 में लागू हुई थी, जब प्रदेश की आबादी महज 2 करोड़ थी और कृषि मुख्यतः पारंपरिक थी, लेकिन आज 8 करोड़ से अधिक आबादी, शहरीकरण, औद्योगीकरण और डिजिटल युग की मांगों के सामने यह पूरी तरह से असफल हो रही है। सरकार द्वारा वर्ष 2018 एमपीएलआरसी संशोधन अधिनियम 2018, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स और ई-नामांतरण जोड़े गए), 2021 (कोविड प्रभावित किसानों के लिए राहत प्रावधानों

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता एवं अन्य भूमि संबंधी विवादों के संबंध में आवश्यक संशोधन को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित

एवं 2022 (भू-स्वामी अधिकारों में संशोधन) में कुछ सतही संशोधन किए गए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला, अनावश्यक विलंब, अन्यायपूर्ण फर्जीवाड़ा, पक्षपातपूर्ण निर्णय और न्यायिक लंबितता की समस्याएँ न केवल यथावत बनी हुई हैं, बल्कि और गहराती जा रही हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में 5 लाख से अधिक भूमि विवाद प्रकरण लंबित हैं (मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की 2023 रिपोर्ट के अनुसार), जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक 5 वर्ष से पुराने हैं, और इनमें से 40 प्रतिशत में भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज हैं। यह स्थिति किसानों को आत्महत्या की ओर धकेल रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार, मध्यप्रदेश में 2022-2025 तक 2,500 से अधिक किसान आत्महत्याओं में भूमि विवाद एक प्रमुख कारण रहा है। विस्तृत रूप से निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ उजागर हैं, जो सरकार की उदासीनता और भ्रष्ट अमले की मिलीभगत का परिणाम हैं। धारा 248 (अवैध कब्जा हटाना) एवं धारा 250 (बेवज्रूद मानवीय हस्तक्षेप से शोषण खामियाँ एवं घोर लापरवाही: तहसील और

अनुविभागीय स्तर पर प्रकरणों में जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया जाता है औसतन 2-3 वर्ष लगते हैं। जबकि नियम के अनुसार 90 दिनों में निपटारा होना चाहिए।

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 एवं एमपीएलआरसी 1959 के बाद भी पुराने 1947 सेटलमेंट रिकॉर्ड्स को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि वे ब्रिटिश काल के हैं और कई जगह फर्जी हैं। आदेश पारित होने के बाद भी कब्जा हटाने में पुलिस और राजस्व अमले का समन्वय न होने से पीड़ित पक्ष वर्षों तक भटकता रहता है उदाहरण स्वरूप, इंदौर और भोपाल संभागों में 10,000 से अधिक ऐसे लंबित आदेश हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा फर्जी रिपोर्ट्स और गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर गरीब किसानों को उजाड़ा जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। परिणाम स्वरूप, पीड़ित पक्ष को न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि मानसिक प्रताड़ना से परिवार बिखर जाते हैं। ऑनलाइन भूलेख व्यवस्था (जैसे जीआईएस और एमपी भूलेख पोर्टल) होने के बावजूद मानवीय हस्तक्षेप से शोषण जारी है डिजिटल सत्यापन में जानबूझकर



त्रुटियाँ डाली जाती हैं। जैसे ग्वालियर और जबलपुर संभागों में 2024-2025 में दर्ज 1,500 से अधिक शिकायतें, लेकिन कार्रवाई महज 10 प्रतिशत पर हुई। जजसे प्रोटेक्शन एक्ट, 1985 का घोर दुरुपयोग राजस्व अधिकारियों द्वारा इसे भ्रष्टाचार, लापरवाही और गलत आदेशों से बचाव की ढाल बनाया गया है, जिससे जवाबदेही शून्य हो गई है। गलत निर्णयों पर एफआईआर दर्ज कराना या विभागीय कार्रवाई कठिन हो जाती है, अधिकारियों को और अधिक निर्भीक बनाता है। परिणाम स्वरूप प्रदेश में 500 से अधिक राजस्व अधिकारियों के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार मामले, लेकिन मुकदमे

नहीं चल पाते। अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड्स (जैसे खसरा, खतौनी) की उपेक्षा कर जानबूझकर विवाद उत्पन्न किए जाते हैं, ताकि मुकदमेबाजी से फसाई हो। किसान अनावश्यक मुकदमों में फंसे हैं। औसतन एक विवाद पर 50,000 से 2 लाख रुपये खर्च होते हैं, और 10-15 वर्ष लगते हैं। भूमि विवादों का न्यायालयों में दीर्घकालीन लंबित रहना एवं न्यायिक व्यवस्था की विफलता। स्वामित्व, कब्जा, बंटवारा एवं सीमांकन विवाद दशकों तक लंबित रहते हैं सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बहुस्तरीय मुकदमेबाजी। अंतरिम स्थगन आदेशों से राजस्व आदेश निष्प्रभावी हो जाते हैं, जिससे अवैध कब्जाधारी लाभ उठाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि मग्न में 3 लाख से अधिक सिविल भूमि मुकदमे लंबित (2025 न्याय विभाग रिपोर्ट), जिनमें 60 प्रतिशत 10 वर्ष से पुराने हैं। भूमि सीमा प्रावधानों की अप्रासंगिकता एवं आर्थिक बाधक एवं भू-सीमा अधिनियम 1960 के वर्तमान प्रावधान आधुनिक कृषि निवेश, कॉर्पोरेट फार्मिंग और एग्री-बिजनेस में घोर बाधक हैं। बड़े स्तर पर वैज्ञानिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नियाँत- उन्मुख

कृषि प्रभावित हो रही है। भूमि विवादों हेतु पृथक न्यायालय की अनिवार्य एवं तत्काल आवश्यकता:भूमि प्रकरणों की जटिलता, लंबितता और भ्रष्टाचार को देखते हुए प्रदेश में पृथक विशेष भूमि विवाद न्यायालय/राजस्व न्यायाधिकरण की स्थापना न केवल आवश्यक है, बल्कि लिंबित न्याय की अपारंपरिक लापरवाही है। प्रस्तावित संरचना को और विस्तार से इस प्रकार लागू किया जाए: प्रत्येक संभाग में कम से कम एक और प्रत्येक जिले में उप-न्यायालय, जिसमें सेवानिवृत्त साक्ष्य विशेषज्ञ, राजस्व विशेषज्ञ और तकनीकी सलाहकार शामिल हों। केवल भूमि स्वामित्व, कब्जा, सीमांकन, नामांतरण, अभिलेख विवादों की सुनवाई, सिविल और राजस्व अधिकारिता का समेकित उपयोग। 6-12 माह में अनिवार्य अंतिम निर्णय, जिसमें अपील की सीमा 3 माह हो। ई-कोर्ट सिस्टम,लागू किया जाए तथा डिजिटल अभिलेख आधारित साक्ष्य विश्लेषण और भूलेख पोर्टल से जुड़ी प्रणाली की व्यवस्था कर राज्य स्तरीय भूमि अपीलीय अधिकरण की स्थापना, जिसमें हाई कोर्ट स्तर की शक्तियाँ हों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पठा पंचायत में फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप, कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग

प्रतीक्षालय बना दुकान कॉम्पलेक्स

भारी बारिश में दिखाई दी मजदूरी

हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

जिले की ग्राम पंचायत पठा में मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत निवासी हरिओम शुक्ला ने कलेक्टर को विस्तृत शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि नवीन तालाब निर्माण में नियमों को दरकिनार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शिकायत में बिना विधिवत मास्टर रोल जारी किए निर्माण कार्य कराने, फर्जी हाजिरी भरकर भुगतान निकालने, तकनीकी मानकों की अनदेखी करने तथा बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में दुकानों का निर्माण कर सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

यात्री प्रतीक्षालय को बना दिया दुकान कॉम्पलेक्स

शिकायत में ग्राम पंचायत पठा पर मुख्य बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय को भी निजी हित में उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए प्रतीक्षालय की मरम्मत के नाम पर सरकारी राशि खर्च कर वहां दुकानें बना दी गईं, जिनका उपयोग निजी व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बैठने और बारिश-धूप से बचने की सुविधा प्रभावित हो रही है।

फर्जी मास्टर रोल से भुगतान निकालने का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 13



सीईओ से लेकर सीएम तक शिकायत पर नहीं हुई कार्यवाही



एवं 14 जून 2025 के लिए जारी मास्टर रोल पूरी तरह फर्जी हैं। इन तिथियों में निर्माण स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ,

लेकिन दस्तावेजों में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज कर भुगतान निकाल लिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके पास

जीपीएस कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो और मजदूरों के सहमति पत्र मौजूद हैं, जो कथित फर्जीवाड़े की पुष्टि करते हैं।

शिकायतकर्ता हरिओम शुक्ला का कहना है कि ग्राम पंचायत पठा के उक्त पूरे भ्रष्टाचार मामले की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित संबंधित विभागों में की जा चुकी है। जिसके बाद बनाये गये जांच प्रतिवेदन में उक्त भ्रष्टाचार को लेकर अनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या पंचायत प्रतिनिधि पर कार्यवाई नहीं की गई। जिससे इस आशंका को बल मिल रहा है कि ग्राम पंचायत पठा में हुये व्यापक भ्रष्टाचार में सभी की मिलीभगत है और सभी के बीच बंदरबांट किया जा रहा। हरिओम शुक्ला के अनुसार 21 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 17 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में तालाब निर्माण में तकनीकी कमियां, बिना इंजीनियर के निरीक्षण कार्य कराए जाने तथा नियमों की अनदेखी का उल्लेख किया गया था।

तालाब निर्माण से निजी भूमि प्रभावित होने का दावा

शिकायतकर्ता का कहना है कि तालाब निर्माण के कारण उसकी निजी कृषि भूमि जलभराव की चपेट में आ गई है। इससे खेती करना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि पूर्व जांच में इस तथ्य का उल्लेख होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया और किसी प्रकार का सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

अब पुनः लगाई गई कलेक्टर से कार्यवाही की गुहार

शिकायतकर्ता शुक्ला ने एक बार पुनः आवेदन देकर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय से ग्राम पंचायत पठा में हुये उक्त व्यापक भ्रष्टाचार मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही मनरेगा के तालाब निर्माण की तकनीकी जांच, कथित फर्जी मास्टर रोल और भुगतान की जांच, यात्री प्रतीक्षालय में बने निर्माण की वैधता की जांच करके दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सरकारी राशि की वसूली कराये जाने की मांग की है।

इनका कहना है

ग्राम पंचायत पठा के संबंध में शिकायत सामने आने पर जाँच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
 मनीष रोड़े, सीईओ, जनपद पंचायत टीकमगढ़

एसपी मंडलोई ने निष्पक्ष जांच व समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश

आमजन की संतुष्टि जनसुनवाई में न्याय का है मुख्य उद्देश्य: एसपी

हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

न्याय पाने की आशा से आने वाले आवेदको व आमजनों की सुनवाई करते हुये उनकी समस्या का निराकरण करके आमजन की न्याय संगुिष्टि को पूर्ण करना ही जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उक्त वक्तव्य पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार के दिन हो रही जनसुनवाई के दौरान दिया।

आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं न्यायसंगत समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिला पुलिस द्वारा संचालित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम लोगों के लिए आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के मार्गदर्शन में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव रखे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मंडलोई ने प्रत्येक आवेदक की बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच एवं समयबद्ध कार्रवाई



क निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि प्रत्येक शिकायत को केवल एक आवेदन के रूप में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी व्यक्ति और उसके परिवार की अपेक्षाओं तथा विश्वास के रूप में देखा जाए। इसी मानवीय दृष्टिकोण के चलते नागरिकों का पुलिस के प्रति भरोसे को लगातार बल मिल रहा है। कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

कई मामलों में मौके पर ही राहत प्रदान की गई, जबकि अन्य प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों

का विशेष संवेदनशीलता क साथ प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया। जिला पुलिस ने जनसुनवाई की व्यवस्था को थाना एवं चौकी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही अपनी समस्याएं पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखने और उनके शीघ्र समाधान का अवसर मिल रहा है।

इससे पुलिस सेवाएं अधिक सुलभ, जवाबदेह और जनोन्मुखी बन रही हैं। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने कहा कि पुलिस का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझकर उन्हें समय पर सहायता और न्याय उपलब्ध कराना भी है।

साइबर ठगी से बचाव का प्रभावी उपाय

बस जागरुकता और सतर्कता: मंडलोई

सेफ विलक अभियान 2.0 के जरिए रेली और नुक्कड़ नाटकों से किया जागरूक

हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में प्रदेशभर में संचालित सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत जिले में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने साइबर जागरूकता रैलियां निकालीं और बाजारों सहित प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों से माध्यम से लोगों को साइबर ठगी के नए तरीकों से सावधान रहने का संदेश दिया।

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को ओटीपी फ्राड, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाएं, बैंकिंग धोखाधड़ी, फिशिंग लिंक और सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसे साइबर अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोगों को समझाया गया कि किसी भी अज्ञात कॉल, संदेश, लिंक या ऑनलाइन लेनदेन पर बिना सत्यापन विश्वास न करें तथा अपनी बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रमों में बताया कि यदि कोई व्यक्ति



साइबर ठगी का शिकार होता है तो वह तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराए तथा नेशनल साइबर क्राइम रीडिंग पोर्टल के माध्यम से भी सूचना दे। अधिकारियों ने बताया कि समय पर शिकायत दर्ज होने से ठगी गई राशि को रोकने या वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और सतर्कता विकसित करने का प्रयास है। पुलिस विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर साइबर सुरक्षा को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि प्रत्येक नागरिक डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ उपयोग कर सके। पुलिस अधीक्षक मंडलोई ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम जागरूकता और सतर्कता है।



हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

आत्मीयता और भावुक विदाई के साथ सेवानिवृत्त हुए राजीव सेन

हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

जिला पंचायत में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर राजीव सेन को सम्मान एवं आत्मीयता के साथ भावभीनी विदाई दी गई। आयोजित विदाई समारोह में जिला

पंचायत के मुख्य का य ' पाल न अ धि का री सीईओ नवनीत धुवं सहित अधि का री यों एवं कर्मचारियों ने उनके लंबे, ईमानदार और समर्पित

सेवाकाल की सराहना करते हुए स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

समारोह को संबोधित करते हुए सीईओ नवनीत धुवं ने कहा कि राजीव सेन ने अपने पूरे सेवाकाल में पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और

ईमानदारी के साथ दायित्वों का निर्वहन किया। उनका कार्य व्यवहार और अनुभव हमेशा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत परिवार की ओर से राजीव सेन का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए वर्षों की याद करते हुए कहा कि उनका सरल स्वभाव, सहयोगी भावना और आत्मीय व्यवहार हमेशा स्मरणीय रहेगा। विदाई समारोह के दौरान भावुक हुए राजीव सेन ने जिला पंचायत परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा अवधि के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिला सहयोग, स्नेह और विश्वास उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

टीएल बैठक में सख्त निर्देश, ड्रॉपआउट बच्चों का कराएं दाखिला

नामांतरण, सीमांकन प्रकरण शून्य करें: कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टील बैठक में अध्यक्षता करते हुये कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय द्वारा विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्रोत्रिय ने स्पष्ट कहा कि शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक हर हाल में पहुंचे। उन्होंने कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को स्वरोजगार और सस्मिडी आधारित योजनाओं की जानकारी देकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ें।

कलेक्टर श्रोत्रिय ने आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को एक वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों का प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं आयुष विभाग के वेलनेस सेंटers में बुजुर्गों एवं लक्षित समूह के लोगों को नियमित रूप से भेजने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रोत्रिय



ने कक्षा 1 से 8 तक के ड्रॉपआउट बच्चों की सूची तैयार कर उन्हें पुनः विद्यालय से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर विशेष अभियान चलाए, चाइल्ड ट्रेकिंग एप और समग्र आईडी के माध्यम से बच्चों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही जिले के वर्षीय जानकारी से खाली पड़े शासकीय भवनों की जानकारी

भी मांगी। बैठक में निर्माणाधीन मुक्तधामों की प्रगति, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य, नगर निकायों में समग्र ई-केवाईसी तथा वनाधिकार संबंधी दावों की भी समीक्षा की गई। व्यक्तिगत वनाधिकार दावों का पोर्टल के माध्यम से शीघ्र निराकरण कराने तथा सामुदायिक वन संसाधन समितियों के गठन के निर्देश दिए

तलवार, रॉड, डंडों से लैस से थे हमलावर

केंद्रीय मंत्री के बंगले से चंद कदम दूर युवक पर जानलेवा हमला



हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़

शहर में अतिसुरक्षित माने जाने वाले इलाके और केंद्रीय मंत्री व सांसद के बंगले के समीप ही खुलेआम गुंडागर्दी और कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुये एक युवक पर जानलेवा हमला किये जाने का मामला सामने आया है। केंद्रीय मंत्री व सांसद के सरकारी बंगले के समीप ईदगाह मार्केट स्थित निर्मल मॉल के सामने कुछ हमलावरों ने एक युवक को संरेआम घेरकर उस पर तलवार, लोहे की रॉड और डंडों से लैस होकर कथित रूप से प्राणघातक हमला कर दिया। उक्त वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।

उक्त जानलेवा हमले में घायल युवक ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि हमलावर न केवल उससे रुपये मांग रहे थे, बल्कि मारपीट के दौरान उसकी करीब दो तोला सोने की चेन भी छीन ले गए। जिसके बाद पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक के नाम दिए आवेदन में बताया गया कि विनाइ कुंज तिराहा निवासी हर्ष राय 29 जून की शाम अपने परिचित निमित चौधरी के साथ ईदगाह मार्केट स्थित निर्मल मॉल के सामने पहुंचा था। शाम करीब सवा 7 बजे वहां उज्ज्वल गौर, महेंद्र सिंह गौर, देव उर्फ देवांश तिवारी तथा दो-तीन



अन्य युवक पहुंच गए। पीड़ित युवक हर्ष का आरोप है कि आरोपियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, गाली-गलौज करते हुए पांच हजार रुपये की मांग की और पैसे देने से इनकार करने पर हमला कर दिया। आवेदन में कहा गया है कि एक आरोपी ने तलवार से सिर पर वार किया, दूसरे ने लोहे की रॉड से हाथ पर हमला किया, जबकि तीसरे ने डंडे से आंख के पास चोट पहुंचाई। साथ आए अन्य लोगों ने भी कुर्सियां उठाकर हमला किया। हमले के दौरान गले में पहनी करीब दो तोला सोने की चेन छीनकर फरार होने का भी आरोप लगाया गया है।

घायल युवक हर्ष का कहना है कि वह उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा और इसके बाद कोतवाली गया, लेकिन दर्द और चोट के कारण उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बावजूद पुलिस ने उसकी बताई हुई पूरी घटना दर्ज नहीं की और कुछ कामगोप पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़ित युवक हर्ष ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है।

अवैध उत्खनन की जानकारी छुपाना

पटवारी को पड़ा भारी, हुआ निलंबित

वीडियो ने खोली अवैध खनन पर राजस्व अमले की पोल, कलेक्टर ने की कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज़
 टीकमगढ़



हुये बताया कि संबंधित पटवारी की ओर से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त निलंबन आदेश में कहा गया कि पटवारी ने मानसून अवधि को देखते हुए 20 जून से 30 सितंबर तक जिले की सभी रेत खदानों और रेत धारित नदी-नालों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बावजूद प्रतिबंध के दौरान हो रहे कथित अवैध उत्खनन की सूचना संबंधित पटवारी द्वारा विभाग को नहीं देना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है। कलेक्टर श्रोत्रिय ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित पटवारी का उक्त आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के प्रावधानों के

विपरीत है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय जतारा निर्धारित किया गया है।

इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की इस कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब अवैध खनन की जानकारी छिपाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।